

कार्यालय अतिरिक्त कलक्टर एवं परियोजना अधिकारी, शाहबाद जिला-बारां

Office Phone & Fax No 07460-262302 Email - adm.shbd2018@gmail.com

क्रमांक : EMRS / गेस्ट अध्या. / 2023 / 587

दिनांक 23/06/23

विज्ञप्ति

एकलव्य मॉडल रेजीडेन्सियल स्कूल हनोतिया (शाहबाद) जिला-बारां में रिक्त पदों पर गेस्ट/रिटायर्ड अध्यापक लगाये जाने हेतु आवेदन पत्र google link पर दिनांक 26.06.2023 से 05.07.2023 तक आमंत्रित किये जाते हैं। रिक्त पद, दिशानिर्देश, नियम व शर्तें एवं google link विभागीय वेबसाइट www.tad.rajasthan.gov.in पर देखी जा सकती है।

(अमप्रकाश जैन)

अतिरिक्त कलक्टर एवं
परियोजना अधिकारी, शाहबाद

कार्यालय अतिरिक्त कलक्टर एवं परियोजना अधिकारी, शाहबाद जिला-बारां

Office Phone & Fax No 07460-262302 Email – adm.shbd2018@gmail.com

क्रमांक : EMRS हनोतिया / गेस्ट अध्या. / 2023 / 570

दिनांक 22/06/23

–: विज्ञप्ति :-

राजस्थान स्टेट एकलव्य मॉडल रेजीडेन्सियल स्कूल सोसायटी उदयपुर (राजस्थान) के दिशा निर्देशानुसार इस कार्यालय के अधीन संचालित एकलव्य मॉडल रेजीडेन्सियल स्कूल, हनोतिया (शाहबाद) जिला बारां में निम्नांकित रिक्त पदों पर योग्य एवं पात्र गेस्ट/रिटायर्ड अध्यापक लगाये जाने हेतु दिनांक 05.07.2023 तक ऑन-लाईन आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं।

रिक्त पदों का विवरण

क्र.सं.	पद नाम	विषय	रिक्त पदों की संख्या
1	ब्याख्याता	हिन्दी	1
2	ब्याख्याता	भौतिक विज्ञान	1
3	ब्याख्याता	रसायन विज्ञान	1
4	ब्याख्याता	जीव विज्ञान	1
5	ब्याख्याता	राजनीति विज्ञान	1
6	ब्याख्याता	भूगोल	1
7	वरिष्ठ अध्यापक	गणित	1
8	वरिष्ठ अध्यापक	विज्ञान	1
9	प्रयोशाला सहायक	भौतिक, रसायन, जीव विज्ञान	3
योग :-			13

उपरोक्त रिक्त पदों पर गेस्ट/रिटायर्ड अध्यापकों का चयन राजस्थान स्टेट एकलव्य मॉडल रेजीडेन्सियल स्कूल सोसायटी उदयपुर (राजस्थान) द्वारा जारी दिशा निर्देश एवं नियम व शर्तों के अधीन होगा तथा चयन समिति द्वारा लिया गया निर्णय सर्वमान्य होगा।

संलग्न :- दिशानिर्देश, नियम व शर्तें

(ओमप्रकाश जैन)
अतिरिक्त कलक्टर एवं
परियोजना अधिकारी, शाहबाद

ईएमआरएस में अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति के लिए दिशानिर्देश

1. परिचय:

जनजातीय कार्य मंत्रालय एसटी बच्चों के लिए 1997-98 से राज्यों में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों की स्थापना की है, जिसमें जनजातीय छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए उन्हें शिक्षा के सर्वोत्तम अवसरों का उपयोग करने और उन्हें सामान्य वर्ग के बराबर लाने में सक्षम बनाया गया है।

वर्तमान में, EMRSS संबंधित राज्य सरकारों के जनजाति विकास विभाग द्वारा स्थापित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की EMRS सोसायटियों द्वारा उनके संबंधित राज्यों की नीतियों और मानदंडों के अनुसार चलाए जा रहे हैं। EMRSS को आवश्यक बुनियादी ढांचे, सुविधाओं और अपेक्षित कर्मचारियों से सुसज्जित किया जाना है ताकि उनकी स्थापना के उद्देश्य को प्राप्त किया जा सके। रिक्तियों या लंबे अवकाश के कारण कर्मचारियों की अनुपलब्धता स्कूली शिक्षा प्रणालियों की एक सामान्य घटना है और EMRSS भी इसका अपवाद नहीं है।

शिक्षकों की अनुपलब्धता की समस्या को हल करने की प्रतिबद्धता के साथ, NESTS ने अतिथि शिक्षकों के रूप में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए दिशानिर्देश तैयार किए हैं।

2. उद्देश्य:

रिक्तियों के कारण कर्मचारियों की अनुपलब्धता या लंबे अवकाश पर जाने वाले कर्मचारियों या ईएमआरएस के उन्नयन से उत्पन्न होने वाली रिक्ति की समस्या को हल करने के लिए यह विकल्प आवश्यक है।

3. सामान्य निर्देश:

ईएमआरएस के उन्नयन से उत्पन्न होने वाली रिक्ति/या जब शिक्षक लंबे अवकाश पर जाता है, तो राज्य / केंद्रशासित प्रदेश की ईएमआरएस सोसायटी शिक्षकों को अतिथि शिक्षक (पीजीटीएस और टीजीटी के रूप में) के रूप में नियुक्त करने के लिए अधिकृत हैं।

अतिथि शिक्षकों के रूप में लगे शिक्षकों को नियमित नियुक्ति का अधिकार नहीं होगा। अतिथि शिक्षकों को EMRSS में और न ही EMRSS के केंद्र के एक भाग के रूप में माना जाएगा।

अतिथि शिक्षकों को नियुक्त करते समय निम्नलिखित बातों का पालन करना चाहिए:

- शिक्षक के पास आवश्यक शैक्षिक योग्यता निर्धारित मापदंडों अनुसार होना चाहिए शिक्षकों के लिए यानी पीजीटी टीजीटीएस आदि।
- न्यूनतम और अधिकतम आयु सीमा क्रमशः 21 वर्ष और 60 वर्ष होगी।
- राज्य सरकार / केवीएस / एनवीएस / मान्यता प्राप्त प्रतिष्ठित सीबीएसई स्कूलों से सेवानिवृत्त शिक्षकों को भी अतिथि शिक्षक के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। सेवानिवृत्त शिक्षकों के लिए अधिकतम आयु सीमा 65 वर्ष होगी, बशर्ते कि वे आवासीय व्यवस्था में काम करने के लिए चिकित्सकीय रूप से फिट हों। जिस पद से वे सेवानिवृत्त हुए हैं, उसी पद पर उन्हें लगाया जा सकता है।

- d) अतिथि शिक्षक को एक शैक्षणिक वर्ष या रिक्ति अवधि के लिए नियुक्त किया जाएगा (मातृत्व अवकाश या शिशु देखभाल अवकाश या 30 दिनों से अधिक का कोई अन्य लंबा अवकाश) या नियमित शिक्षक के कार्यभार ग्रहण करने तक, जो भी पहले हो।
- e) प्रधानाचार्य, उप-प्राचार्य, पुस्तकालयाध्यक्ष और कार्यालय कर्मचारी के पदों को इस रूप में नहीं भरा जाएगा।
- f) अनुबंध के नवीनीकरण के लिए अतिथि/सेवानिवृत्त शिक्षक को नए सिरे से आवेदन करना होगा और प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष में साक्षात्कार में उपस्थित होना होगा। अतिथि/सेवानिवृत्त शिक्षकों को काम पर रखने की कार्रवाई राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा शैक्षणिक सत्र के प्रारंभ में रखा जाएगा। हालांकि, ईएमआरएस में काम करने के अनुभव को साक्षात्कार में उचित महत्व दिया जाएगा।

4. चयन प्रक्रिया:

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की ईएमआरएस सोसाइटी राज्य में चल रहे ईएमआरएसएस के लिए जिला स्तर पर अध्यापन और अन्य पदों के लिए साक्षात्कार आयोजित करेंगी और केवल एक शैक्षणिक वर्ष के लिए मान्य एक पैनल तैयार करेंगी। सामान्य साक्षात्कार नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत से पहले आयोजित किया जाएगा। राज्य के ईएमआरएसएस में पैनल का प्रयोग केवल रिक्तियों की मौजूदगी/ईएमआरएस के उन्नयन से उत्पन्न होने वाली रिक्ति/या जब शिक्षक लंबे अवकाश पर जाता है, के मामले में किया जाएगा।

एक शैक्षणिक वर्ष के लिए अतिथि शिक्षकों का एक पैनल तैयार करने के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया को राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की ईएमआरएस सोसायटी द्वारा अपनाया जाना है:

- a) विज्ञापन राज्य के कम से कम 2 प्रमुख समाचार पत्रों में दिया जाएगा। शैक्षणिक वर्ष के लिए राज्य भर में EMRSS में अतिथि शिक्षकों के रूप में शिक्षकों का जिला स्तरीय पैनल और ऑनलाइन मोड में आवेदन आमंत्रित करना।
- b) आवेदन जमा करते समय आवेदकों को अतिथि शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए अपनी प्राथमिकता के घटते क्रम में जिले में चल रहे 3-5 ईएमआरएसएस का विकल्प चुनना होगा, यदि चयनित हो।
- c) किसी भी साक्षात्कार में चल रहे ईएमआरएसएस में अतिथि शिक्षक के रूप में काम करने के इच्छुक उम्मीदवार प्रत्येक जिले हेतु अलग से आवेदन करना होगा और अलग से उपस्थित होना होगा।
- d) साक्षात्कार आयोजित करने के लिए एक पैनल का गठन करें।

जिला स्तरीय समिति को साक्षात्कार के संचालन की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। डीएलसी के गैर-गठन के मामले में, राज्य ईएमआरएस सोसायटी समिति का गठन कर सकती है या विभिन्न पदों के लिए साक्षात्कार आयोजित करने की जिम्मेदारी अलग-अलग ईएमआरएसएस को सौंप सकती है। साक्षात्कार आयोजित करने वाली समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल होने चाहिए:

- जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर/उपायुक्त या नामित अध्यक्ष;
- परियोजना अधिकारी/जिला या मुख्य शिक्षा अधिकारी;
- प्रभारी अकादमिक मामले राज्य ईएमआरएस सोसायटी या एक डीएलसी से शिक्षाविद सदस्य;
- विषय विशेषज्ञ और
- एक ईएमआरएस प्रिंसिपल।

- e) पात्रता मानदंड, शिक्षण अनुभव और साक्षात्कार के अनुसार शैक्षिक योग्यता के आधार पर मेरिट बनाई जाएगी।
- f) अतिथि शिक्षकों के पैनल को राज्य ईएमआरएस सोसायटी की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा और केवल ईएमआरएस के उन्नयन से उत्पन्न होने वाली रिक्तियों के अस्तित्व के मामले में या जब शिक्षक लंबे अवकाश पर जाते हैं तो इसका संचालन किया जाना है।

5. अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति:

अनुबंध के नवीनीकरण के लिए अतिथि/सेवानिवृत्त शिक्षक को नए सिरे से आवेदन करना होगा और प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष में साक्षात्कार में उपस्थित होना होगा। अतिथि/सेवानिवृत्त शिक्षकों को काम पर रखने की कार्रवाई राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा काफी पहले शुरू की जानी चाहिए ताकि शिक्षकों को शैक्षणिक वर्ष की शुरुआत से बिना असफल हुए काम पर रखा जा सके। हालांकि, ईएमआरएस में काम करने के अनुभव को साक्षात्कार में उचित महत्व दिया जाएगा।

- a) चयनित उम्मीदवारों को ईएमआरएस में अतिथि शिक्षक के रूप में नियुक्त किया जा सकता है, जहां उन्हें रिक्ति/अवकाश रिक्ति के मामले में नियुक्त किया जाएगा।
- b) एक शैक्षणिक वर्ष या रिक्ति अवधि (मातृत्व अवकाश या बाल देखभाल अवकाश या 30 दिनों से अधिक की कोई अन्य लंबे अवकाश) या स्पष्ट रिक्ति के मामले में नियमित रूप से शामिल होने तक, जो भी हो, तक मान्य होगी।
- c) अतिथि शिक्षक ईएमआरएस में नियमित पदस्थापन के लिए दावा नहीं करेंगे।
- d) पारिश्रमिक का भुगतान: अतिथि शिक्षकों को व्याख्यान/अवधि के आधार पर भुगतान किया जाएगा। पारिश्रमिक @ रु। पीजीटी के लिए 320/पीरियड, @ रु. टीजीटी के लिए 300/अवधि और रु. हॉस्टल वार्डन के लिए 1200 / दिन। अतिथि शिक्षकों को न्यूनतम 5 कालांश/दिन तथा अधिकतम 6 कालांश/दिन आवंटित किये जा सकते हैं। प्रति अवधि के आधार पर परिकल्पित अतिथि शिक्षकों का अधिकतम वेतन निम्नानुसार अधिकतम तक सीमित किया जाए:

पीजीटी- रु. 45000/-

टीजीटी-रु. 42000/-

छात्रावास वार्डन- रु. 36000/-

- e) छात्रावास के वार्डन को ग्रीष्म एवं शीतकालीन अवकाश तथा पतझड़ / दीपावली अवकाश या लगातार 15 या उससे अधिक दिनों के किसी अन्य अवकाश के दौरान भुगतान नहीं किया जाएगा।
- f) किसी भी प्रकार के अवकाश को विद्यालय से अनुपस्थिति माना जायेगा और उसे बिना वेतन अवकाश के माना जायेगा।
- g) अतिथि शिक्षकों की सेवाएं बिना किसी कारण से केवल 15 दिनों की पूर्व सूचना के साथ समाप्त किया जा सकता है।
- h) अतिथि शिक्षकों के काम के घंटे नियमित शिक्षकों के समान होंगे।
- i) अतिथि शिक्षकों के कर्तव्य और उत्तरदायित्व नियमित शिक्षक/अवलंबे के समान होंगे। नियमित कक्षा गतिविधि, प्रतिलिपि सुधार, निरीक्षण कर्तव्य, मूल्यांकन कर्तव्य, विभिन्न साहित्यिक, सह-पाठ्यक्रम, खेल गतिविधियों के लिए छात्रों को तैयार करना, अनुरक्षण कर्तव्य, प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए नामांकन, प्राचार्य द्वारा सौंपे गए कार्य आदि की पालन करनी होगी।

- j) अतिथि शिक्षकों को आवास प्रदान किया जा सकता है यदि उपलब्ध (व्यक्तिगत/साझाकरण के आधार पर निशुल्क जिसे उन्हें 7 दिनों के भीतर खाली करना होगा अनुबंध की समाप्ति पर करना होगा।
- k) जिस ईएमआरएस में अतिथि शिक्षक कार्यरत है, उसमें नियमित शिक्षक/पदधारी के शामिल होने के मामले में, अतिथि शिक्षक को अन्य ईएमआरएस में नियुक्त किया जा सकता है, जहां उक्त रिक्ति मौजूद है, बशर्ते अतिथि शिक्षक का पददर्शन संतोषजनक हो और अतिथि शिक्षक के पास आवेदन पत्र में उस ईएमआरएस के विकल्प का प्रयोग किया। तथापि, अतिथि शिक्षकों की कमी होने पर अतिथि शिक्षकों की सहमति से किसी भी ईएमआरएस में पदस्थापन किया जा सकता है।
- l) अतिथि शिक्षक का पैनल केवल एक शैक्षणिक वर्ष के लिए वैध रहेगा। हालांकि, अप्रत्याशित परिस्थितियों या अतिथि शिक्षक के संतोषजनक पददर्शन के मामले में, अतिथि शिक्षक के पैनल की वैधता next की पूर्व स्वीकृति के साथ अगले शैक्षणिक वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है, लेकिन ईएमआरएसएस अतिथि के साथ एक नया अनुबंध करेगा। शिक्षक प्रदान की रिक्ति अभी भी मौजूद है।
- m) शैक्षणिक वर्ष के लिए अतिथि शिक्षकों के चयन पैनल के लिया राज्य ईएमआरएस सोसायटी पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करेगी।

6. सेवानिवृत्त शिक्षकों की नियुक्ति :

- a) चयनित उम्मीदवारों को ईएमआरएस में अतिथि शिक्षक (सेवानिवृत्त शिक्षक) के रूप में नियुक्त किया जा सकता है, जहां उन्हें रिक्ति/अवकाश रिक्ति के मामले में नियुक्त किया जाएगा।
- b) सेवानिवृत्त शिक्षकों को मासिक आधार पर 10 महीने से अधिक की अवधि के लिए या नियमित पदधारी के कार्यभार ग्रहण करने तक, जो भी पहले हो, नियुक्त किया जाएगा।
- c) पारिश्रमिक का भुगतान: सेवानिवृत्त शिक्षकों को निम्नानुसार किसी भी विकल्प का पालन करते हुए मासिक आधार पर भुगतान किया जाएगा:

- @ अंतिम आहरित वेतन - पेंशन। सेवानिवृत्त शिक्षक की नियुक्ति बिना कोई कारण बताए किसी भी समय समाप्त की जा सकती है और EMRS द्वारा किसी नोटिस अवधि के उपरांत भुगतान नहीं किया जाएगा।
- एनवीएस/केवीएस और अन्य से सेवानिवृत्त शिक्षकों के मामले में आहरित अंतिम वेतन का 50% भुगतान किया जाएगा एवं सरकार स्कूल जहां पेंशन का कोई प्रावधान लागू नहीं है।
- निजी विद्यालय से सेवानिवृत्त शिक्षक के मामले में जहां पेंशन नहीं है न्यूनतम और अधिकतम सीमा परिभाषित की जा सकती है या मानदंड का पालन किया जाएगा है।

पीजीटी के लिए: 45000/-;

टीजीटी: 42000/-

छात्रावास वार्डन: 36000/-

- d) सेवानिवृत्त शिक्षकों के कार्य के घंटे नियमित शिक्षकों के समान होंगे।
- e) एक वर्ष में 8 आकस्मिक अवकाश के प्रावधान की अनुमति होगी।
- f) सेवानिवृत्त शिक्षकों के कर्तव्य और जिम्मेदारियां नियमित शिक्षक / पदधारी के समान या समान होंगी। नियमित कक्षा गतिविधि, कॉपी सुधार, निरीक्षण कर्तव्य, मूल्यांकन कर्तव्य, विभिन्न साहित्यिक,

सह-पाठ्यक्रम, खेल गतिविधियों के लिए छात्रों को तैयार करना, अनुरक्षण कर्तव्य, प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए नामांकन, पाठ्यार्थ द्वारा सौंपा गया कर्तव्य आदि।

- g) सेवानिवृत्त शिक्षक को एक अधिकृत चिकित्सा अधिकारी से चिकित्सा-सह-फिटनेस प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- h) सेवानिवृत्त अतिथि शिक्षकों को उनकी उपलब्धता के आधार पर आवास (व्यक्तिगत/साझाकरण के आधार पर नि:शुल्क प्रदान किया जा सकता है, जिसे उन्हें अनुबद्ध समाप्ति के 7 दिनों के भीतर खाली करना होगा।
- i) आने वाले के सेवानिवृत्त शिक्षक के पैनल के लिए एक सेवानिवृत्त शिक्षक पर विचार किया जा सकता है पिछले वर्षों उसका प्रदर्शन संतोषजनक हो। हाल हर साल अधिकृत मेडिकल प्रैक्टिशनर से मेडिकल-कम-फिटनेस सर्टिफिकेट, उसे जमा करना होगा।

राजस्थान स्टेट एकलव्य मॉडल रेजिडेन्शियल स्कूल सोसायटी, उदयपुर (राज.)

1, सहेली मार्ग, चेतक सर्कल EPABX : 2428721-24 फेक्स : 0294-2411417
ई-मेल : rs.emrssociety.tad@rajasthan.gov.in, Website : www.tad.rajasthan.gov.in

राजस्थान स्टेट एकलव्य मॉडल रेजिडेन्शियल स्कूल सोसायटी, उदयपुर (राज.) दिशा निर्देश-

1. अनुसूचित क्षेत्र में Guest/Retired Teachers लगाये जाने हेतु जिला स्तरीय समिति का गठन उपायुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग एवं गैर-अनुसूचित क्षेत्र (जिला- अलवर, टोंक, जयपुर, करौली एवं बारा) में EMRS विद्यालयों के संस्था प्रधान NESTs सोसाइटी के बिन्दु संख्या 4 में दिए गए निर्देशानुसार कमेटी का गठन कर जिला कलेक्टर द्वारा अनुमोदन उपरांत साक्षात्कार/चयन की कार्यवाही संपादित करेंगे।
2. Guest/Retired Teachers के पद की सेवाएँ रिक्त पद पर शिक्षण कार्य शैक्षणिक सत्र तक या नवीन पदस्थापन या विभागीय आदेश तक, जो भी पहले हो तक ही लागू रहेगी।
3. संबंधित संस्था प्रधान Guest/Retired Teachers पर लिये जाने वाले कार्मिक की पूर्ण योग्यता संबंधी रिकार्ड विद्यालय में ही संधारित किये जायेंगे।
4. विद्यालय में Guest/Retired Teachers पर सेवाएँ देने वाले कार्मिकों का मानदेय की दरें-

Guest/Retired Teachers-

- अंतिम आहरित वेतन-पेंशन- Retired Teachers को बिना कोई कारण बताए और बिना किसी नोटिस अवधि के किसी भी समय उनकी सेवाएँ समाप्त की जा सकती हैं।
- 50% अंतिम आहरित वेतन - NVS/KVS/ सरकारी विद्यालयों के शिक्षक जहाँ पेंशन सुविधा उपलब्ध नहीं है।
- Guest/Private Retired Teachers - जहाँ पेंशन सुविधा उपलब्ध नहीं है।

पद	प्रति घण्टा मानदेय	अधिकतम मासिक मानदेय
TGT	300/-	42000/-
PGT	320/-	45000/-

नोट :- Guest/Retired Teachers न्यूनतम 5 अधिकतम 6 क्लास 1 दिन में ले सकेगा।

5. विद्यालय के संस्था प्रधान प्रतिदिन Guest/Retired Teachers पर सेवाएँ देने वाले कार्मिक का पूर्ण पर्यवेक्षण करेंगे व प्रतिमाह Guest/Retired Teachers द्वारा कराये गये शिक्षण कार्य का मूल्यांकन कर विद्यार्थियों से Guest/Retired Teachers का फीडबैक लेकर रिपोर्ट राजस्थान राज्य, एकलव्य मॉडल रेजिडेन्शियल स्कूल सोसायटी, उदयपुर की ई-मेल आई.डी. rs.emrssociety.tad@rajasthan.gov.in पर प्रेषित करेंगे।
6. Guest/Retired Teachers का कार्य संतोषजनक होने पर ही भुगतान की कार्यवाही की जावे।
7. NESTs द्वारा जारी दिशा निर्देश अनुसार Guest/Retired Teachers का पदस्थापन, मानदेय भुगतान एवं समस्त नियमों की पालना सुनिश्चित की जावे। NESTs द्वारा जारी दिशा निर्देश ही मान्य है।
8. शपथ पत्र प्रारूप में उल्लेखित बिन्दु संख्या 1 से 14 तक की पालना Guest/Retired Teachers द्वारा अनिवार्य रूप से अंकन कराया जाना सुनिश्चित करावे।

राजस्थान स्टेट एकलव्य मॉडल रेजिडेन्शियल स्कूल सोसायटी, उदयपुर (राज.)

1. सहेली मार्ग, घेतक सर्कल EPABX : 2428721-24 फ़ैक्स : 0294-2411417
ई-मेल : rs.emrssociety.tad@rajasthan.gov.in, Website : www.tad.rajasthan.gov.in

शपथ- पत्र

मैं.....श्री/श्रीमती/कुमारी..... पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री..... विभाग.....
(संस्थान का नाम) में दिनांकको गैस्ट फ़ैकल्टी के रूप में अपनी उपस्थिति दे रहा/रही हूँ।

1. यह है कि मैंने..... विभाग/ संस्थान द्वारा जारी विज्ञापन दिनांक के क्रम में अपना आवेदन प्रस्तुत किया है तथा मैंने विज्ञापन में वर्णित शर्तों को पढ़ व समझ लिया है तथा उन शर्तों की पालना हेतु वचनबद्ध हूँ।
2. यह है कि मैंने राजस्थान के वित्त (सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम) विभाग के परिपत्र क्रमांक प. 6(2)वित्त/साविलेनि/2021 दिनांक..... को अच्छे से पढ़/समझ लिया है।
3. यह कि मेरे द्वारा आवेदन पत्र में भरी गई समस्त सूचनाएं पूर्णतया सत्य है तथा कोई तथ्य छिपाया नहीं गया है।
4. यह कि मेरे द्वारा जमा किये गये समस्त शैक्षणिक/प्रशिक्षण संबंधी मूल अभिलेख एवं अन्य दस्तावेज जो विभाग द्वारा अपेक्षित है (यथा पहचान पत्र जो आवेदन पत्र में अंकित हो, न्यूनतम शैक्षणिक पात्रता परीक्षा में प्राप्त प्राप्तांक, निवास, जाति, विकलांगता, भूपू.सै. स्वयं से संबंधित प्रमाण पत्र) पूर्णतया सही हैं।
5. यह कि मेरे द्वारा प्रस्तुत किये गये समस्त मूल अभिलेख एवं अन्य सूचनाएं यदि जांच के दौरान कूटरचित/फ़र्जी अथवा गलत पायी जाती है तो मुझे गैस्ट फ़ैकल्टी से निर्मुक्त कर दिया जाएगा। जिला स्तरीय समिति के empellement से निर्मुक्त करते हुए मेरे विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही मुझे स्वीकार्य होगी जिसके लिए किसी भी न्यायालय में वाद दायर नहीं करूंगा/करूंगी।
6. यह है कि मैं कार्य निष्पादन के दौरान निर्धारित उच्च मानदंडों के अनुसार अपनी सेवाएं प्रदान करूंगा/करूंगी तथा यदि मैं इसका उल्लंघन करता हूँ/करती हूँ तो संस्था एकतरफा कार्यवाही हेतु स्वतंत्र तथा अधिकृत होगी।
7. यह कि मैं जिला आवंटित होने के उपरांत स्थान परिवर्तन की मांग नहीं करूंगा/करूंगी।
8. यह है कि मैं इस तथ्य से भलिभांति अवगत हूँ कि जिस रिक्त पद के विरुद्ध शपथग्रहिता को गैस्ट फ़ैकल्टी रखा गया है, उस पद पर नियमित नियुक्ति की दिनांक से ही उपर्युक्त व्यवस्था स्वतः समाप्त हो जावेगी।
9. यह है कि मैंने यह अच्छे से समझ लिया है कि यह व्यवस्था पूर्ण रूप से अस्थायी तथा एक सेमेस्टर या एक सेशन के लिये है तथा भविष्य में इसके आधार पर नियमित नियुक्ति का दावा नहीं करूंगा/करूंगी।
10. इस व्यवस्था से नियमित नियुक्ति या अन्य किसी भी कारण से मुझे यदि गैस्ट फ़ैकल्टी के रूप में नहीं बुलाया जाता है तो मेरे द्वारा न्यायिक या प्रशासनिक स्तर पर कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया जायेगा।
11. मैं राज्य सरकार/विभाग/संस्थान द्वारा समय-समय पर जारी नियमों/निर्देशों की पूर्ण पालना करूंगा/करूंगी।
12. यह हक मुझे केन्द्र सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी अथवा समुचित प्राधिकारी के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी निगम या निकाय अथवा विभाग द्वारा पदच्युत नहीं किया गया है तथा नैतिक अधमता अथवा किसी अन्य अपराध के लिए दोष सिद्ध नहीं किया गया है और न ही कोई आपराधिक प्रकरण न्यायालय में लंबित है।

राजस्थान स्टेट एकलव्य मॉडल रेजिडेन्शियल स्कूल सोसायटी, उदयपुर (राज.)

1, सहेली मार्ग, चेतक सर्कल EPABX : 2428721-24 फेक्स : 0294-2411417

ई-मेल : rs.emrssociety.tad@rajasthan.gov.in, Website : www.tad.rajasthan.gov.in

13. मैंने यह समझ लिया है कि निम्न कार्य कुशलता, दुराचरण, अनियमितता तथा कार्य से अनुपस्थिति की दशा में संस्थान या सक्षम अधिकारी को बिना कारण बताये मुझे गैस्ट फौकल्टी के रूप में निर्मुक्त करे का अधिकार होगा।
14. मैं राजकीय अभिलेख तथा सूचनाओं की गोपनीयता बनाये रखूंगा तथा इसका उल्लंघन करने पर नियमानुसार दण्डीय कार्यवाही का उत्तरदायी होऊंगा।

शपथग्रहिता

सत्यापन

मैं शपथपूर्वक बयान करता/करती हूँ कि उपर्युक्त वर्णित बिंदु संख्या 1 से 14 में वर्णित तथ्य/सूचना मेरी जानकारी में सही तथा सत्य हैं, मैंने इनको भलिभांति पढ़ तथा समण लिया है, मैंने कुछ भी असत्य व्यक्त नहीं किया है तथा न ही कुछ छिपाया है। यदि भविष्य में कोई सूचना/ तथ्य असत्य या अपूर्ण सिद्ध होता है तो मैं स्वयं इसके लिए उत्तरदायी रहूंगा।

शपतग्रहिता